मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 1, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री :-

(क) आरटीकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 83 (बी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिये); तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009 एवं 2009-2010 तथा आयोग के वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009 एवं 2009-2010 में की गई अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा :-

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अंकेक्षित प्रतिवेदन,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2010-2011 ; तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(1) क्रमांक 2041/म.प्र.विनि.आ./2011, दिनांक 30 जून, 2011
(2) क्रमांक 2100/म.प्र.विनि.आ./2011, दिनांक 8 जुलाई, 2011
(3) क्रमांक एफ-3-20-1998-तेरह, दिनांक 3 अगस्त, 2011, तथा
(4) शुद्धि पत्र क्रमांक एफ-3-20-1998-तेरह, दिनांक 28 अक्टूबर, 2011,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रणवीर सिंह जाटव, सदस्य, श्योपुर एवं भिण्ड जिले में चंबल नहर क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बाला बच्चन, सदस्य, प्रदेश के निमाड़ अंचल में कपास की फसल नष्ट होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री परसराम मुदगल, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम जगतपुर के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम कनकपुरा से भाखरी तक मार्ग निर्माण कराये जाने,
(ग) मुरैना शहर के वार्ड क्रमांक 35 की सड़कें बनाये जाने,
(घ) ग्राम शेरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(ङ) ग्राम शेरपुर में स्वराज भवन बनाये जाने, तथा
(च) ग्राम शेरपुर में बांध का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (बिज्जू बना), सदस्य, नीमच जिले के -

(क) ग्राम कुंजड़ा में पशु औषधालय का भवन निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम रवलीकुड़ी चाटन बस्ती में नाले पर स्टाप डेम बनाये जाने,
(ग) ग्राम बड़िया से हासपुर तक रोड निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम डायली मोखमपुरा में तालाब निर्माण कराये जाने
(ङ) मनासा मंडी गेट से भांडिया तक रोड निर्माण कराये जाने, तथा
(च) मलाहेड़ा से मुकड़ी तक रोड निर्माण कराये जाने,

(3) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

(क) करेरा शहर में गणेश मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम देहरेटा में अव्वल हैण्डपंप खनन कराये जाने,
(ग) ग्राम सिलानगर में नवीन हाई स्कूल खोले जाने,
(घ) ग्राम पंचायत बिल्हारी में हैण्डपंप खनन कराये जाने,
(ङ) ग्राम किशनगढ़ में विद्युतीकरण कराये जाने,
(च) ग्राम बमरोली (नामदाह) पर स्टापडेम बनाये जाने, तथा
(छ) जनपद पंचायत नरवर के अटामार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) राजेन्द्र सागर (नागदा बांध) की क्षतिग्रस्त नहरों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने,
(ख) ग्राम पंचायत हीरा नगर बाबरी के हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ग) टीकमगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 23 में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,
(घ) जिला मुख्यालय के बाहर से बायपास रोड निर्माण कराये जाने, तथा
(ङ) ग्राम पंचायत नन्ही टेहरी में पेयजल व्यवस्था कराये जाने.

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 30 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में खाद बीज की कमी, कालाबाजारी एवं नकली खाद बीज व कीटनाशक की बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामनिवास रावत एवं श्री रामलखन सिंह, सदस्य चर्चा उठायेंगे

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

1 घन्टा

मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजातियों आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 21 नवम्बर, 2011